प्रकरण संख्या 35/2024 बालकृष्ण व अन्य बनाम गणपतलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव गोविन्ददेव, तहसील खेरवाड़ा (हाल तहसील नयागांव) में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजी नंबर 12, 16, 19, 22, 42, 60, 8 कुल किता 7 रकबा 1.4400 हैक्टर स्थित है, इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 वर्णित आराजी नंबर 116, 150, 151, 183, 200, 38, 39 कुल किता 7 रकबा 0.2500 हैक्टर स्थित है। उक्त दोनों कलमों की आराजियात में पक्षकारान का हिस्से उक्त कलम में दर्ज हिस्से अनुसार है। उपरोक्त आराजियात का अभी सहखतेदारों के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु आपसी सहमति से काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 सें 8 एवं उनके परिजनों के मन में बद्नियति आ जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 9 से 12 की भूमि हड़पना चाहते हैं इसलिए खसरा नंबर 16 पर जबरन कब्जा करने की नियत से जे.सी.बी. मशीन से जबरन खड्डा खोदने लगे तथा भूमि खुर्द–बुर्द करने लगे, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा वाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 8 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन जोशी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। अभी हाल ही में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण को फसलों की बुवाई करने से रोकने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (30) 2023 Page 149, RBJ (30) 2023 Page 644, RBJ (30) 2023 Page 667 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की शुरू से जानकारी थी, फिर भी अपील डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपीलान्टगण द्वारा नहीं बताया गया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2007 (2) Page 788, 2017 (2) CT (Raj.) Page 732, RBJ (17) 2010 Page 289 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपील करीब डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी पक्षकार को अपने स्वत्व अधिकारों से महरूम नहीं होना पड़े। तद्नुसार प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि नया उपखण्ड कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] सृजित हो जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नयागांव में स्थानान्तरित होनी थी, किन्तु पत्रावली स्थानान्तरित होने से पूर्व ही प्रार्थी संख्या 1 गणपतलाल की मृत्यु हो जाने से पत्रावली में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई एवं पत्रावली नामकायमी में नियत थी। नामकायमी की प्रक्रिया के दौरान मूलवाद की पत्रावली संख्या 33/2020 उपखण्ड अधिकारी नयागांव में स्थानान्तरित हो गयी, जबकि प्रार्थना पत्र की पत्रावली संख्या 44/2020 प्रेषित नहीं की गयी तथा अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने मृत व्यक्ति के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विवादित आराजियात अपीलान्टगण के मूल पुरूष शिवराम पिता भवानीशंकर एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7, 16 व 17 के मूल पुरूष मोहनलाल पिता छगनलाल ब्राहमण को विधि अनुसार आवंटित होकर कब्जा सिपुर्द किया गया है, इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है एवं इस संबंध में वाद संख्या 68/79 निर्णय दिनांक 23.10.1982 में गत सेटलमेन्ट की आराजी नंबर 16 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/8, 8 से 15, 18 व 19 का कोई हक व हिस्सा नहीं माना गया है। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट का वाद व प्रार्थना पत्र रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये प्रार्थीगण द्वारा भूमि के विशिष्ठ भाग पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। सहखातेदार के विरूद्ध भी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (9) 2002 Page 47, RBJ (17) 2010 Page 178, RBJ (6) 1999 Page 377 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा में वर्ष 2020 में दर्ज रजिस्टर किया गया है तथा आदेशिका दिनांक 13.01.2023 पर भी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा की मुहर लगी हुई है, किन्तु उक्त दिनांक 13.01.2023 को जो पृथक से निर्णय पारित किया गया है, उसमें सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नयागांव की मुहर लगी हुई है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि उक्त प्रश्नगत प्रकरण की पत्रावली सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नयागांव में स्थानान्तरित ही नहीं हुई है एवं अपीलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 44/2020 निर्णय दिनांक 13.01.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.04.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested